



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2009/वैशाख 4, 1931

No. 666]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2009/VAISAKHA 4, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2009

का.आ. 1050(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथाउल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भू-खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

| राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | सेक्शन | भू-खण्ड किलोमीटर में | |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 8 | किशनगढ़ से बीवाड़ सेक्शन (राजस्थान राज्य में) | 364.000 से | 366.200 किलोमीटर |

[फा. सं. एन एच-14013/5/2006-पी एण्ड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2009

S.O. 1050(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, hereby entrusts the stretches, specified in column (3) of the Table below

1585 GI/2009

(1)

(hereinafter referred to as the said Table) of the Section, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table of the National Highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

| National Highway No. | Section | Stretches in Kilometers |
|----------------------|---|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 8 | Kishangarh to Beawar Section (In the State of Rajasthan) | From Km. 364.000 to Km. 366.200 |

[F. No. NH-14013/5/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2009

का.आ. 1051(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|-------------------------|
| "21 | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 [किशनगढ़ से अजमेर (364.000 किलोमीटर से 396.200 किलोमीटर को छोड़कर) और अजमेर से उदयपुर (0.000 कि. मी. से 263.500 कि. मी. को छोड़कर)], संख्या 11 [42.525 किलोमीटर से 228.000 कि. मी. को छोड़कर (उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा - भरतपुर - महुआ - जयपुर)] सं. 11क, सं. 11ख, सं. 11ग, सं. 12, सं. 14 [246.800 कि. मी. से 306.000 कि. मी. को छोड़कर (पिडवाड़ा - राजस्थान/गुजरात सीमा सैक्शन)] सं. 15, सं. 65, सं. 71ख, सं. 79 (नजीराबाद सैक्शन से चित्तौड़गढ़ को छोड़कर) सं. 89, सं. 90, सं. 112, संख्या 113, संख्या 114 और संख्या 116 जो राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। | राजस्थान राज्य सरकार।"; |

[फा. सं. एनएच-14013/5/2006-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 218(अ), तारीख 20 जनवरी, 2009 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2009

S.O. 1051(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O. 1096(E) dated the 4th August, 2005, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|----------------------------------|
| “21 | So much of National Highways No. 8 [Kishangarh to Ajmer (excluding from Km. 364.000 to Km. 396.200) and Ajmer to Udaipur (excluding from Km. 0.000 to Km. 263.500)], No. 11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur)], No.11A, No. 11B, No. 11C, No. 12, No. 14 [excluding from Km. 246.800 to Km. 306.000 (Pindwara - Rajasthan/Gujarat Border Section)], No. 15, No. 65, No. 71B, No. 79 [excluding from Section Nasirabad to Chittorgarh), No. 89, No. 90, No. 112, No. 113, No. 114 and No. 116 as are situated within the State of Rajasthan. | State Government of Rajasthan.”; |

[F. No. NH/14013/5/2006-P&M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Footnote:—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 218(E), dated the 20th January, 2009.